निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1937 (श0)

(सं0 पटना 570) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2015

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं
15 मई 2015

एस०ओ० 74, दिनांक 15 मई 2015––बिहार होटल विलासिता कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल राज्य में नवनिर्मित होटलों के वैसे स्वत्वाधिकारी अथवा स्वत्वाधिकारियों के किसी वर्ग को, जो उक्त अधिनियम की धारा–5 के अधीन निबंधित है तथा अपना व्यवसाय दिनांक 1 जुलाई 2011 से 30 जून 2016 के बीच शुरू किये हों, को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की कंडिका 3(ii)(क) के आलोक में होटल व्यवसाय शुरू करने की तिथि से सात वर्षों तक विलासिता कर के उद्ग्रहण से छूट देते हैं।

2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की कंडिका 11 के आलोक में विलासिता कर से यह छूट औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की प्रभावी तिथि 01 जुलाई 2011 से देय होगी किन्तु जिन इकाईयों द्वारा इस अवधि में ग्राहकों से कर की वसूली कर ली गयी है उन्हें वसूले गये कर को सरकारी कोष में जमा करना होगा।

[(सं०सं० बिक्री–कर / विविध–76 / 2014–2118)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

---

15 मई 2015

एस०ओ० 75–एस०ओ० 74, दिनांक 15 मई 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री–कर / विविध–76 / 2014–2119)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 15th May 2015

S.O. 74, dated 15th May 2015— In exercise of the powers conferred under Section 3A of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), the Governor of Bihar is pleased to exempt, such proprietor or a class of proprietors of the newly constructed Hotels in state and registered under section-5 of the said Act and who have started their hotel business in between 1st July 2011 to 30 June 2016, from levy of luxuries tax for seven years from the date of starting their hotel business in accordance with para-3(ii)(a) of Industrial Incentive Policy, 2011.

2. In accordance with Para 11 of the Industrial Incentive Policy 2011, this exemption from Luxury tax shall be applicable from 1st July 2011, effective date of Industrial Incentive Policy, 2011. Tax collected during this period by such hotels from the customers shall have to be deposited in Government exchequer.

[(File No. Bikri-kar/vividh-76/2014-2118)]
By order of the Governor of Bihar,
RAVI MITAL,
Commissioner-cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 570-571+50-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in